अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

	न्यायालय उपायुक्त, रॉंची	
	दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 58 आर० 15/2023–24	
04 11.12.2023	नथुन् महतो, पिता–स्व० सीता राम महतो, निवासी ग्राम–गेतलातु पो०–ब्रेवरी विकास, थाना–सदर, जिला–राँची .... प्रार्थी	
	बनाम	
	झारखण्ड सरकार .... उत्तरवादी	
	आदेश	
	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉंची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 899 आर० 15/2022–23 मे दिनांक 17.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार ने प्रार्थी के द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया तथा अँचल अधिकारी अनगड़ा के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–305 आर० 27/2015–16 में दिनांक–14.12.2015 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखा, जिसके तहत्त उनके द्वारा मौजा–हेंसल, थाना सं० 19, थाना अनगड़ा, जिला रॉंची के खाता सं०–194, प्लॉट सं०–753, रकबा–02 डी० भूमि का नामान्तरण अस्वीकृत किया गया है।	
	प्रार्थी के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। प्रार्थी के अनुसार –मौजा–हेंसल, थाना सं० 19, थाना अनगड़ा, जिला रॉंची के खाता सं०–194, प्लॉट सं०–753, रकबा–02 डी० भूमि आर० एस० खतियान मे सुधवा महतो के नाम से कायमी दर्ज है। सुधवा महतो अपने पीछे दो पुत्र चामु महतो एवं रामु महतो छोड़ गये। उपरोक्त रामु महतो ने निबंधित पट्टा सं० 15927 दिनांक 24.09.2009 के द्वारा मौजा–हेंसल, थाना सं० 19, थाना अनगड़ा, जिला रॉंची के खाता सं०–194, प्लॉट सं०–753, रकबा–2 डी० भूमि प्रार्थी को हस्तांतरित कर दिया एवं प्रार्थी को उक्त भूमि पर दखल प्रदान किया।	

अनुसूची 14 – फारम सं0

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

प्रार्थी ने अँचल अधिकारी अनगड़ा के समक्ष दिनांक 04.11.2009 को उपरोक्त भूमि के दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया, परन्तु उनके उक्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नही की गई। पुनः प्रार्थी ने दाखिल खारिज वाद संख्या–305 आर० 27/2015–16 दायर किया, जिसे दिनांक–14.12.2015 को आवेदित भूमि के अन्तरण को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित मानते हुए खारिज कर दिया गया।

प्रार्थी के द्वारा यह भी कहा गया है कि वर्श 2009 मे जब रामु महतो के द्वारा आवेदित भूमि का हस्तांतरण किया गया, उस समय सरकार द्वारा दिनांक 01.04.1971 को जारी आदेश के आलोक मे कुर्मी या अन्य पिछड़ी जाति के सदस्यों की भूमि के हस्तांतरण पर रोक नही था।

प्रश्नगत भूमि के क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य है एवं हल्का कर्मचारी एवं अँचल निरिक्षक के द्वारा उक्त दाखिल खारिज वाद मे दाखिल प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि पर प्रार्थी को दखल प्राप्त है। 1988 पी०एल०जे०आर० 174 एवं 2003 (10) एस०सी०सी० 360 मे प्रकाशित न्यायनिर्णय के अनुसार भूमि किसी नामान्तरण वाद का मुख्य बिन्दु दखल होता है।

प्रार्थी एवं सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि निबंधित पट्टा के द्वारा वर्ष 2009 मे प्राप्त किया है तथा अंचल अधिकारी अनगड़ा के समक्ष दिनांक 04.11.2009 को उपरोक्त भूमि के दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया, परन्तु उनके उक्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नही की गई। तत्समय सरकार के द्वारा जारी निदेश के आलोक मे कुर्मी या अन्य पिछड़ी जाति के सदस्यों की भूमि के हस्तांतरण एवं नामान्तरण पर रोक नही था, परन्तु अँचल कार्यालय के उदासिनता के कारण प्रार्थी के नाम से उस समय प्रश्नगत भूमि नामान्तरण नही हो सका। वर्ष 2012 मे सरकार के द्वारा जारी परिपत्र के आलोक मे पुनः कुर्मी एवं अन्य पिछड़ी जाति के सदस्यों को बिना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(b)

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त हस्तांतरण करने पर रोक लगा दिया गया, परन्तु उसके भूतलक्षी प्रभाव के बारे के उक्त परिपत्र मे कुछ नही कहा गया है। यह विदित है कि प्रश्नगत भूमि के क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य है एवं हल्का कर्मचारी एवं अँचल निरिक्षक के द्वारा उक्त दाखिल खारिज वाद मे दाखिल प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि पर प्रार्थी को दखल प्राप्त है। यदि तत्समय प्रश्नगत भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत पूर्वानुमति प्राप्त करने की बाध्यता होती तो भूमि को निबंधन बिना अनुमति के नही होता।

चूंकि क्रेता के द्वारा भूमि का क्रय वर्ष 2012 के पूर्व वर्ष 2008 में ही किया गया था एवं 2009 में ही दाखिल खारिज हेतु आवेदन दाखिल किया गया था परन्तु ससमय दाखिल खारिज अंचल अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। अतः यह पुनरीक्षण वाद स्वीकृत किया जाता है तथा विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 899 आर० 15/2022–23 मे दिनांक 17.02. 2023 एवं अँचल अधिकारी अनगड़ा के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–305 आर० 27/2015–16 में दिनांक–14.12.2015 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अँचलाधिकारी अनगड़ा को यह निदेश दिया जाता है कि वे आवेदित भूमि का नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष मे स्वीकार करे।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची एवं अँचल अधिकारी अनगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.29 00:11:29 -08:00
Location: 192.168.1.4